

**न्यायालय :- वरुण कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद, जिला भिण्ड, (म.प्र.)**

(आपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 751 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 28 / 08 / 14)

म.प्र.राज्य की ओर से
आरक्षी केन्द्र गोहद,
जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, उम्र 46 वर्ष,
 2. दशरथ सिंह पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, उम्र 28 वर्ष,
 3. बंटी उर्फ कुंअर सिंह पुत्र निहाल सिंह गुर्जर, उम्र 38 वर्ष,
 4. रायसिंह पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, उम्र 39 वर्ष,
 5. नरसिंह उर्फ छुन्ना पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, उम्र 39 वर्ष,
 6. रामस्वरूप पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, उम्र 34 वर्ष,
 7. इन्द्रभान पुत्र सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, उम्र 22 वर्ष,
- समस्त निवासीगण ग्राम बनीपुरा, थाना गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

राज्य की ओर से श्री प्रवीण सिकरवार ए.डी.पी.ओ.।
अभियुक्तगण की ओर से श्री एम.पी.एस.राणा अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 30.06.18 को घोषित)

1. अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह, दशरथ सिंह, बंटी उर्फ कुंअर सिंह, रायसिंह, नरसिंह उर्फ छुन्ना, रामस्वरूप एवं इन्द्रभान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 294, 325 / 149, 341, 506 भाग-2 के अन्तर्गत यह आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक को पीड़ित पंचमसिंह का रास्ता रोककर उसे अश्लील शब्द उच्चारित किए। अभियुक्तगण पर यह भी आरोप है कि उन्होंने घातक हथियार से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया और पीड़ित पंचम सिंह को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। अभियुक्तगण ने पीड़ित पंचम सिंह

को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अभियुक्त बंटी और आहत पंचम सिंह के मध्य जमीन के विवाद को लेकर पूर्व में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े पर से बंटी ने पंचम के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 14.08.14 को जब सूचनाकर्ता बेटीराजा का पुत्र पंचम सिंह दूध डालने के लिए गोहद जा रहा था तब खेत जोतने की बात की बुराई को लेकर अभियुक्त बंटी, रायसिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, नरसिंह हसिया लेकर तथा दशरथ, सुरेन्द्र, इन्द्रभान, रामस्वरूप लाठियां लेकर आए और पंचमसिंह को घेर लिया। इसके उपरान्त अभियुक्त सुरेन्द्र ने आहत पंचम सिंह को भागने नहीं दिया और जमीन में पटक दिया। अभियुक्त बंटी ने पंचम सिंह के बाएं पैर, रायसिंह ने बाएं हाथ की भुजा में कुल्हाड़ी मारी एवं अन्य सभी अभियुक्तगण ने पंचम सिंह की लाठियों से मारपीट की। घटना के समय रुचि, महिपाल, लायक सिंह एवं बेटीराजा ने बीच-बचाव किया। अभियुक्तगण ने पंचम सिंह को मां-बहन की गाली तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना की सूचना थाना गोहद को दिए जाने पर अपराध क्रमांक 275/14 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया।

4. तत्पश्चात् प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षी बेटीराजा, पंचम सिंह, रुचि, महिपाल, लायक सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण से कुल्हाड़ी, हसिया, लाठी जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्तगण ने इस निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार करते हुये अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं—

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को पीड़ित पंचम सिंह का

रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने पीड़ित पंचम सिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने घातक हथियार से सुसज्जित होकर बल्ला कारित किया ?

4. क्या अभियुक्तगण ने पीड़ित पंचम सिंह को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?

5. क्या अभियुक्तगण ने पंचम सिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष

7. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में आई साक्ष्य परस्पर अंतर्मिश्रित होने से साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिए सभी विचारणीय बिन्दुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

8. साक्षी बेटीराजा (अ.सा.2) का कहना है कि घटना दिनांक को सुबह दस बजे जब उसका बेटा पंचम सिंह दूध लेने के लिए साइकिल से गया हुआ था तब रास्ते में अभियुक्त सुरेन्द्र, बंटी, दशरथ, रायसिंह, रामस्वरूप, छुन्ना, इन्द्रभान ने उसे घेरकर पटक दिया था। मौके से भागकर पंचम घर पर आ गया था और अभियुक्तगण ने घर पर आकर पंचम के साथ मारपीट की थी। साक्षी का यह भी कहना है कि जब वह घर पर रोटी बना रही थी तब चिल्लाने की आवाज सुनकर वह बाहर पहुंची थी जहां उसने देखा कि रायसिंह, बंटी, सुरेन्द्र कुल्हाड़ी लिए हुए थे और अन्य अभियुक्तगण हाथ में लाठी लिए हुए थे। साक्षी के अनुसार उसका बेटा पंचम नीचे गिरा हुआ था और अभियुक्तगण उसे मार रहे थे। साक्षी ने इस तथ्य के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है कि कौन व्यक्ति किस हथियार से पंचम को मार रहा था। साक्षी का यह भी कहना है कि अभियुक्तगण गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे और पंचम को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.1 थाने जाकर लेख कराई थी।

9. साक्षी पंचम सिंह (अ.सा.1) का कहना है कि घटना दिनांक 14.08.2014

को जब वह अपने घर से दूध की टंकी लेकर निकल रहा था तब घर के दरवाजे के पास सुरेन्द्र सिंह, रायसिंह, रामस्वरूप, दशरथ, इन्द्रभान, बंटी, नरसिंह ने उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी के अनुसार रायसिंह और बंटी के पास कुल्हाड़ी, नरसिंह के पास हसिया एवं अन्य अभियुक्तगण के पास लाठियां थी। अभियुक्त बंटी ने बाएं पैर में और रायसिंह ने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी मारी थी तथा अन्य अभियुक्तगण ने उसे लाठियों से मारा था। साक्षी का यह भी कहना है कि घटना के समय उसकी बेटी रुचि, मां बेटीराजा व पिता हरनारायण ने बीच-बचाव किया था जिसमें उन लोगों को भी चोटें आई थी। अभियुक्तगण ने साक्षी को मां-बहन की गालियां और जान से मारने की धमकी दी थी।

10. साक्षी डॉ.साधना पाण्डे (अ.सा.4) का कहना है कि उसने दिनांक 14.08.14 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत पंचम सिंह का मेडीकल परीक्षण करने पर एक ढाई इंच लंबा एवं 1/4 इंच गहरा कटा हुआ घाव बाईं टांग पर अंदर की ओर, एक फटा हुआ घाव माथे पर, मुंदी चोट पीठ में दाईं तरफ की स्कैपुला हड्डी के नीचे पाई थी। साक्षी का यह भी कहना है कि आहत के सीधे हाथ के अंगूठे एवं हाथ में सूजन थी जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई थी। साक्षी के द्वारा आहत के संबंध में तैयार की गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.2 है। साक्षी ने दिनांक 15.08.14 को आहत पंचम सिंह का एक्सरे परीक्षण करने पर छाती में कोई अस्थिभंग नहीं पाया था, परंतु सीधे हाथ की दूसरी मेटाकार्पल में अस्थिभंग पाया था, जिससे संबंधित एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी.15 है।

11. घटना दिनांक को आहत के शरीर पर चोटें विद्यमान होने के बिन्दु पर साक्षी डॉ. साधना पाण्डे को प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई है। साक्षी डॉ. साधना पाण्डे के कथन एवं मेडीकल रिपोर्ट से साक्षी पंचम सिंह के कथनों का समर्थन होता है। घटना के पश्चात् लेख कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.1 से आहत पंचम सिंह को समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार यह तो प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आहत पंचम सिंह के शरीर पर चोटें विद्यमान थीं।

12. अब प्रश्न यह है कि क्या उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई थीं। पीड़ित पंचम सिंह के द्वारा घटना के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लेख कराई गई है। स्वभाविक रूप से यदि किसी व्यक्ति को किसी

अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाई जाती है तो घटना के पश्चात् वह किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लेख नहीं कराएगा, जिससे कि वास्तविक अपराधी को बचाया जा सके।

13. साक्षी महिपाल सिंह (अ.सा.5) का कहना है कि उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था और न ही उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी है। अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 14.08.14 को जब वह और लायकसिंह हार की तरफ से आ रहे थे तब उन्होंने पंचम सिंह को जमीन में पड़ा हुआ पाया था और अभियुक्तगण को पंचम सिंह की मारपीट करते हुए देखा था।

14. साक्षी लायक सिंह (अ.सा.7) का कहना है कि वह अभियुक्तगण को जानता है। पंचम सिंह उसका भतीजा है तथा बेटीराजा उसकी भाभी है। साक्षी ने घटना के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इंकार किया है। अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण पंचम सिंह के साथ गाली-गलौंच कर रहे थे और उसकी मारपीट कर रहे थे।

15. साक्षी उमाकांत शर्मा (अ.सा.6) का कहना है कि उसने दिनांक 15.08.14 को थाना गोहद में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्रमांक 275/14 की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.3 तैयार किया था। साक्षी ने गवाह बेटीराजा, रुचि, पंचम सिंह, महिपाल सिंह, लायक सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे। साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.4 लगायत 10 तैयार किया गया था। साक्षी का यह भी कहना है कि उसने अभियुक्त रामस्वरूप से बांस की लाठी, कुंअर सिंह से कुल्हाड़ी, नरसिंह से लोहे की हसिया जब्त कर जब्ती पत्रक क्रमशः प्र.पी.11, 12, 13 बनाए थे।

16. साक्षी रुचि (अ.सा.3) का कहना है कि वह अभियुक्तगण को जानती है और पीड़ित पंचम सिंह उसके पिता एवं बेटीराजा उसकी दादी हैं। घटना दिनांक को जब उसके पिता दूध लेने गोहद जा रहे थे तब घर के बाहर सुरेन्द्र सिंह, बंटी सिंह, रायसिंह, नरसिंह, रामस्वरूप, दशरथ, इन्द्रभान ने उसके पिता को घर लिया था। अभियुक्त बंटी और रायसिंह के पास कुल्हाड़ी थी, जिससे बंटी ने पंचम सिंह के बाईं

टांग में और बाएं हाथ में मारा था तथा रायसिंह ने पंचम सिंह को सीधे हाथ की अंगुली में कुल्हाड़ी मारी थी। साक्षी का यह भी कहना है कि अभियुक्तगण उसके पिता को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। अभियोजन के द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पिताजी का उल्टा हाथ टूट गया था और अभियुक्तगण उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

17. साक्षी रुचि ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी दादी खाना बना रही थी और वहां से झगड़ा सुनाई देता है, परंतु झगड़े वाली जगह दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार घटना के समय साक्षी जिस जगह पर मौजूद थी, वहां भी केवल झगड़े की आवाज सुनाई देती है। बचाव पक्ष ने साक्षी रुचि को यह चुनौती दी है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। साक्षी ने उक्त चुनौती के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि वह और उसकी दादी एक साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां अभियुक्तगण उसके पिता के साथ मारपीट कर रहे थे।

18. साक्षी बेटेराजा (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने लायक सिंह एवं महिपाल सिंह को मौके पर नहीं देखा था अपितु रुचि ने यह बताया था कि मौके पर लायक सिंह एवं महिपाल सिंह मौजूद थे। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह मौके पर मौजूद नहीं थी और उसने कोई झगड़ा नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि वह अपने पुत्र और अभियुक्तगण के बीच पूर्व से चल रही रंजिश के कारण न्यायालय में झूठे कथन कर रही है।

19. साक्षी पंचम सिंह (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि सभी अभियुक्तगण एक साथ आए थे और उन्होंने उसे मिलकर मारा था। साक्षी के अनुसार झगड़े के समय वह अकेला था और उसकी मां घर के अंदर थी, जो अंदर से बाहर आई थी। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने मेढ पर अभियुक्तगण के साथ गाली-गलौंच की थी।

20. बचाव पक्ष ने यह तर्क किया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के कथनों में अभियुक्तगण के द्वारा उपयोग किए गए हथियारों के संबंध में विरोधाभास है, जिस कारण से साक्षियों के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि घटना वर्ष 2014 की है और साक्षी पंचम,

बेटीराजा, रुचि के कथन वर्ष 2016 में अर्थात् घटना के दो साल बाद लेख किए गए हैं, जिस कारण से साक्षीगण के कथनों में मामूली विरोधाभास आना स्वभाविक है।

21. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **भरवड़ा भोगिन बाई हीरजी भाई विरुद्ध राज्य ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 753** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है कि:—

(1) *By and large a witness cannot be expected to possess a photographic memory and to recall the details of an incident. It is not as if a video tape is replayed on the mental screen.*

(2) *Ordinarily it so happens that a witness is overtaken by events. The witness could not have anticipated the occurrence which so often has an element of surprise. The mental faculties therefore cannot be expected to be attuned to absorb the details.*

(3) *The powers of observation differ from person to person. What one may notice, another may not. An object or movement might emboss its image on one person's mind, whereas it might go unnoticed on the part of another.*

(4) *By and large people cannot accurately recall a conversation and reproduce the very words used by them or heard by them. They can only recall the main purport of the conversation. It is unrealistic to expect a witness to be a human tape recorder.*

(5) *In regard to exact time of an incident, or the time duration of an occurrence, usually, people make their estimates by guess work on the spur of the moment at the time of interrogation. And one cannot expect people to make very precise or reliable estimates in such matters. Again, it depends on the time-sense of individuals which varies from person to person.*

(6) *Ordinarily a witness cannot be expected to recall accurately the sequence of events which take place in rapid succession or in a short time span. A witness is liable to get confused, or mixed up when interrogated later on.*

(7) *A witness, though wholly truthful, is liable to be overawed-by the Court atmosphere and the piercing cross-examination made by counsel and out of nervousness mix up facts, get confused regarding sequence of events, or fill up details from imagination on the spur of the moment. The subconscious mind of the witness sometimes so operates on accounts of the fear of looking foolish or being disbelieved though the witness is giving a truthful and honest account of the occurrence witnessed by him-perhaps it is a sort of a psychological defence mechanism activated on the spur of the moment.*

22. बचाव पक्ष ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों को मुख्य रूप से

इस बिन्दु पर चुनौती दी है कि वह नहीं बता सकते कि किस व्यक्ति के द्वारा शरीर के किस भाग पर प्रहार कर चोट पहुंचाई गई थी। उक्त चुनौती के संबंध में यह अवलोकनीय है कि जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किसी की मारपीट की जाती है तब आहत व्यक्ति के लिए यह बताना संभव नहीं है कि किस अभियुक्त के द्वारा शरीर के किस विनिर्दिष्ट भाग पर प्रहार किया गया था।

23. वर्तमान प्रकरण में साक्षी पंचम सिंह अपने न्यायालयीन कथनों में स्थिर रहा है और उसके कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट और साक्षी रुचि एवं बेटीराजा के कथनों से भी होती है। साक्षी पंचम सिंह ने अभियुक्त रायसिंह एवं बंटी के द्वारा बाएं पैर एवं हाथ में कुल्हाड़ी से मारकर चोट पहुंचाया जाना बताया है। मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार आहत पंचम सिंह को दाएं हाथ में अस्थिभंग पाया गया है। इस प्रकार उक्त चोट कुल्हाड़ी लगने से आना संभव नहीं है अपितु लाठी लगने से आना संभव दर्शित होता है।

24. जहां तक अभियुक्तगण का कृत्य स्वेच्छयापूर्वक किए जाने का प्रश्न है तो उसके संबंध में यह अवलोकनीय है कि "स्वेच्छया" शब्द को परिणाम कारित करने के संबंध में परिभाषित किया गया है और उन कार्यों को करने के संबंध में नहीं, जिनसे वह परिणाम उत्पन्न होते हैं। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति एवं परिणाम से भलीभांति परिचित हैं और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह दर्शित हो कि घटना के समय अभियुक्तगण को कोई गंभीर प्रकोपन दिया गया था। इस प्रकार अभियुक्तगण का कृत्य स्वेच्छयापूर्वक किया जाना प्रमाणित है।

25. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी सुरेन्द्र (ब.सा.1) का कहना है कि पंचम ने उसका खेत जबरदस्ती जोत दिया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी और जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पंचम को उस प्रकरण में सजा हुई थी, जिससे संबंधित निर्णय प्र.डी.1क है। साक्षी का यह भी कहना है कि पंचम ने पुनः उसकी दीवार तोड़ी थी, जिसकी उसने रिपोर्ट प्र.डी.2 की थी और इसीलिए पंचम ने उसके खिलाफ बुराईवश मामला दर्ज कराया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि पंचम के द्वारा झूठी रिपोर्ट किए जाने के विरुद्ध उसने किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की थी।

26. बचाव पक्ष के द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि आहत पंचम ने भूमि के विवाद को लेकर अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रंजिश दो धारी तलवार है, जोकि किसी अपराध को घटित करने के लिए हेतुक बनती है या किसी व्यक्ति को झूठा फंसाए जाने की प्रेरणा प्रदान करती है। अतः साक्ष्य का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाना अपेक्षित है।

27. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अभियुक्तगण और आहत पंचम के मध्य रंजिश विद्यमान थी, परंतु उक्त रंजिश के आधार मात्र पर अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार स्वयं बचाव पक्ष पर है, परंतु केवल पूर्व में पारित निर्णय और पुलिस में की गई रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने मात्र से अभियोजन का संपूर्ण मामला अप्रमाणित नहीं हो जाता है। अतः बचाव पक्ष के द्वारा अपना बचाव पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया गया है।

28. बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृष्टांत **ललित विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2000(1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. पेज नं.206** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण न हो वहां अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत का लाभ बचाव पक्ष को इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

29. न्याय दृष्टांत **वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2002(1) जे.एल.जे.281** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां चाक्षुष वर्णन और चिकित्सीय साक्ष्य में स्पष्ट विरोध हो वहां अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्तमान मामले में चाक्षुष वर्णन एवं चिकित्सीय साक्ष्य में कोई भिन्नता नहीं है, जिस कारण से उपरोक्त न्याय दृष्टांत का लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

30. एक न्याय दृष्टांत **नत्था विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2003(2) जे.एल. जे.144** भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा घटनास्थल पर एकत्रित व्यक्तियों को अभियुक्त का नाम प्रकट नहीं किया गया है, वहां साक्षियों के कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने के कारण

बचाव पक्ष को उपरोक्त न्याय दृष्टांत का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

31. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 प्रतिनिधिक दायित्व का उपबन्ध करती है। यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उसके सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने में कोई अपराध किया जाता है या ऐसा जैसा कि उस जमाव के सदस्य जानते थे कि उस उद्देश्य को अग्रसरित करने में अपराध किया जाना संभाव्य था, हर व्यक्ति जो उस अपराध को किए जाने के समय उसका सदस्य था, उस अपराध के किए जाने का दोषी होगा।

32. धारा 146 भारतीय दण्ड संहिता बल्वे को परिभाषित करती है और धारा 147 भा.द.सं. बल्वे के लिए दण्ड का प्रावधान करती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 का अपराध धारा 147 भा.द.सं. में वर्णित अपराध का गुरुत्तर रूप है। "बल्वे" ऐसे क्रियाकलाप की किसी विशिष्ट स्थिति में किसी विधिविरुद्ध जमाव को कहते हैं, जिसमें कि बल एवं हिंसा का प्रयोग किया गया हो। सामान्य विधि के अधीन जब विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य अपने सामान्य विधि विरुद्ध प्रयोजनों को वास्तव में क्रियान्वित करने के लिए संत्रास उत्पन्न करने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं तो वह बल्वे करने के दोषी होते हैं।

33. प्रकरण में अभियुक्त रायसिंह और बंटी के कुल्हाड़ी से सुसज्जित होने के बिन्दु पर सभी साक्षीगणों ने समान कथन किए हैं। अभियुक्त नरसिंह के हसिया और सुरेन्द्र के कुल्हाड़ी से सुसज्जित होने के बिन्दु पर साक्षीगण के कथनों में भिन्नता है, परंतु फिर भी यह स्पष्ट है कि सभी अभियुक्तगण हथियारों से सुसज्जित थे। कुल्हाड़ी एक घातक आयुध है, परंतु लाठी को घातक आयुध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने हथियारों से सुसज्जित होकर बल्वे कारित किया। फलतः अभियुक्त रायसिंह और बंटी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है और अभियुक्त सुरेन्द्र, दशरथ, नरसिंह, रामस्वरूप एवं इन्द्रभान को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

34. प्रकरण में यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति के द्वारा पहुंचायी गई चोट से आहत पंचम सिंह को अस्थिभंग कारित हुआ था, परंतु अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सभी अभियुक्तगण अलग-अलग शस्त्रों से सज्जित

थे और उनके द्वारा आहत पंचम सिंह की मारपीट की गई थी। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण का सामान्य उद्देश्य आहत पंचम सिंह को घोर उपहति कारित करने का था। फलतः अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह, दशरथ सिंह, बंटी उर्फ कुंअर सिंह, रायसिंह, नरसिंह उर्फ छुन्ना, रामस्वरूप एवं इन्द्रभान को धारा 325/149 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

35. जहां तक प्रश्न धारा 341 भा.द.सं. का है, उसके संबंध में साक्षीगण ने कोई विनिर्दिष्ट कथन नहीं किए हैं, जिस कारण से अभियुक्तगण को धारा 341 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

36. जहां तक अपराध अंतर्गत धारा 294 भा.द.सं. का प्रश्न है, उक्त के संबंध में **न्याय दृष्टांत ओम प्रकाश विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1989 एम.पी.एल. जे. 657** अवलोकनीय है जिसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 294 की परिभाषा के अंतर्गत किस प्रकार के शब्दों को अश्लील की श्रेणी में रखा जायेगा। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में निम्नानुसार कहा है कि:— *no literal significance can be attached to the abuses. The test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as obscene is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences. Mere platitudinous utterances signifying the enraged state of the person's mind would not be sufficient to attract the application of the provisions of Section 294, of the Indian Penal Code. Thus, mere 'vulgar abuses' do not constitute offence under Section 294 of the Indian Penal Code.*

37. साक्षी पंचम सिंह (अ.सा.1) ने अभियुक्तगण के द्वारा मां-बहन की गाली दिया जाना बताया है, परंतु साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से किन शब्दों का उपयोग किया गया था। उपरोक्त विवेचना एवं न्याय दृष्टांत के आलोक में धारा 294 का अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को धारा 294 भा.द.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

38. जहां तक प्रश्न धारा 506 बी भा.द.सं. के अपराध का है, उक्त के संबंध में **न्याय दृष्टांत शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता एवं अन्य मनु/एम.पी./1104/2005** अवलोकनीय है जिसमें माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि हमारे समाज में व्यक्तियों

का सामान्य स्वभाव है कि थोड़ी सी उत्तेजना में लोग धमकी का प्रयोग करते हैं जो उनकी मानसिक दशा का परिचायक है उनका वास्तविक उद्देश्य धमकियों को क्रियान्वित करना नहीं होता है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में निम्नानुसार कहा कि— *It is a notorious fact that the people of this country use words and utter threats at the slightest provocation but which are well understood to be mere epithets of vulgar abuse. Such are threats affecting one's female relations, to set fire to one's house, bury one alive, twist one's neck like a chicken, and words too numerous to mention but all of which are mere terms of opprobrium and convey no well formed determination to carry threats into execution.*

39. साक्षी पंचमसिंह (अ.सा.1) ने अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। अभियुक्तगण के द्वारा बोले गये शब्द झगड़े के समय उच्चारित किए गए सामान्य प्रकृति के शब्द हैं, जिनका उद्देश्य धमकी को क्रियान्वित करने का था ऐसा दर्शित नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचना एवं न्याय दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को धारा 506 भाग दो के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

40. इसी प्रक्रम पर अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है। अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण परिपक्व आयु के व्यक्ति होकर अपने कृत्य की प्रकृति को भलीभांति समझने में सक्षम है। अभियुक्तगण ने हथियारों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया है और पीड़ित पंचम को घोर उपहति कारित की है। इस प्रकार अभियुक्तगण के द्वारा किया गया कृत्य सामाजिक शांति एवं लोक व्यवस्था के प्रति गंभीर अपराध है। समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रकृति के अपराधों को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 के प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित दर्शित नहीं होता है।

41. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये कुछ देर के लिये स्थगित किया जाता है।

(वरुण कुमार शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

42. उभयपक्षों को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियोजन ने अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का बताते हुये अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया। वही बचाव पक्ष की ओर से यह व्यक्त किया गया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर न्यूनतम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

43. दण्ड के प्रश्न पर विचार करते समय यह भी अवलोकनीय है कि अभियुक्तगण एवं पीड़ित पंचम सिंह के मध्य पुरानी रंजिश विद्यमान है और वर्तमान घटना भी जमीन के विवाद को लेकर ही घटित हुई है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित होकर चार वर्ष पुराना है, जिसमें अभियुक्तगण के द्वारा विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

क्र.	अभियुक्त	अपराध धाराएं	कारावास और उसकी प्रकृति	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम की दशा में कारावास
1.	सुरेन्द्र	325/149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500/-	10 दिन सश्रम
		147	3 माह का सश्रम कारावास	100/-	2 दिन सश्रम
2.	दशरथ सिंह	325/149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500/-	10 दिन सश्रम
		147	3 माह का सश्रम कारावास	100/-	2 दिन सश्रम
3.	बंटी उर्फ कुंअरसिंह	325/149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500/-	10 दिन सश्रम
		148	3 माह का सश्रम कारावास	100/-	2 दिन सश्रम
4.	राय सिंह	325/149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500/-	10 दिन सश्रम
		148	3 माह का सश्रम कारावास	100/-	2 दिन सश्रम

5.	नर सिंह	325 / 149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500 / —	10 दिन सश्रम
		147	3 माह का सश्रम कारावास	100 / —	2 दिन सश्रम
6.	रामस्वरूप	325 / 149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500 / —	10 दिन सश्रम
		147	3 माह का सश्रम कारावास	100 / —	2 दिन सश्रम
7.	इन्द्रभान	325 / 149	एक वर्ष का सश्रम कारावास	500 / —	10 दिन सश्रम
		147	3 माह का सश्रम कारावास	100 / —	2 दिन सश्रम

44. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में कारावास पृथक से भुगताया जाये।

45. प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा अनुसंधान और विचारण के दौरान निरोध में काटी गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर संलग्न किया जाये। अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना एवं विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत अवधि मूल कारावास में समायोजित की जाये।

46. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदाय की जाये।

47. प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

48. प्रकरण में अर्थदण्ड की राशि में से धारा 357 (1) द.प्र.सं. के अंतर्गत पीड़ित पंचम सिंह को प्रतिकर के रूप में 3000 / — रुपये अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जाये एवं अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकर की राशि प्रदाय की जाये।

49. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए और अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(वरुण कुमार शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

न्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
य / विधिक उपयोग हेतु अमान्य

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
आसकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य